न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	आर.ए.एस. तारीख निर्णय
16 / 2018 प्रा.पत्र / 2018	08.02.2018	20.03.2025

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री हरि मोहन सैनी पुत्र श्री रंग लाल सैनी एफ.बी.ओ. मेसर्स रोनक किराणा स्टोर खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 12 खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स रोनक किराणा स्टोर खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक
3–श्री मनोज कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी आजाद चौक मालपुरा जिला टोंक राज.।
4–मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज.
5–श्री तीर्थदास परियानी प्रोपरायटर मैसर्स मोतीराम ताराचन्द झालानियों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर राज. निवासी 507, 20 दुकान आदर्श नगर राजापार्क जयपुर राज.।
6–मैसर्स मोतीराम ताराचन्द झालानियों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 व 4 श्री जितेन्द्र जैन
व अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 व 6 श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 20/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.10.2017 को समय 12:54 पी.एम. पर मैसर्स रोनक किराणा स्टोर खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री हरि मोहन सैनी पुत्र श्री रंग लाल सैनी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स रोनक किराणा स्टोर खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री हरि मोहन सैनी पुत्र श्री रंग लाल सैनी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र हेतु [illegible] आवेदन करना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु गुड, तेल, घी आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ 500–500 ग्राम पैक के लगभग 20 पैकेट पैक्ड अवस्था में **बेसन एम.टी. पोलीपैक (Besan M-T poly pack)** रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री हरि मोहन सैनी पुत्र श्री रंग लाल सैनी को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री हरि मोहन सैनी पुत्र श्री रंग लाल सैनी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **बेसन एम.टी. पोलीपैक (Besan M-T poly pack)** जिसके बैच/लोट नम्बर डी–23 एवं पैकिंग की दिनांक 18.08.2017 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500 ग्राम पैक के 4 पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बेसन एम.टी. पोलीपैक (Besan M-T poly pack)** 500 ग्राम पैक के 4 पैकेट में से एक–एक पैकेट के नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1738 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1738 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री हरि मोहन सैनी पुत्र श्री रंग लाल सैनी ने बतौर वारन्टी मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स, [illegible] मार्केट मालपुरा जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

क्य करना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स मोतीराम ताराचन्द झालानियों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/17/4669 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/629/एक्ट/2017/629 दिनांक 16.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया **बेसन एम.टी. पोलीपैक (Besan M-T poly pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री जितेन्द्र जैन एवं श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर निर्माता फर्म का पते में पिनकोड अंकित नहीं होने से उक्त उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। लेबल पर अंकित पता पूर्ण है जिसमें अंकित किशनपोल बाजार जयपुर का एक प्रचलित स्थान है जहां आम आदमी भी आसानी से बिना पिनकोड पहुंच सकता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **बेसन एम.टी. पोलीपैक (Besan M-T poly pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **बेसन एम.टी. पोलीपैक (Besan M-T poly pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार लिए गए नमूने के मिथ्याछाप स्तर का होने का आधार Complete address not given होना बताया गया है। उक्त नमूने के लेबल पर निर्माता फर्म का पता Motiram

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Tarachand Jhalaniyan ka Rasta, Kishan Pole Bazar, Jaipur (Raj.) अंकित है । मात्र खाद्य पदार्थ के लेबल पर निर्माता फर्म के पते में पिनकोड अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। चूंकि किशनपोल बाजार जयपुर का एक प्रचलित स्थान है ऐसी स्थिति में पिनकोड होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य सभी आवश्यक जानकारी लेबल पर मानक प्रारूप में अंकित है। मात्र पिनकोड अंकित नहीं होने से उक्त खाद्य पदार्थ को मानव उपयोग के लिए हानिकारक एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित समझते है।

फलतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सींकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0